# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

**पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 55/2021** **दायर दिनांकः 12.03.2021**

## उनवान

1. सवित्री देवी आयु 62 वर्ष पुत्री मोतीलाल पत्नि बालमुकुन्द जाति मेघवाल निवासी मुण्डला बिसोती हाल आदर्श नगर बोरखेडा कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0।

**वादीया**

## बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

**प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट**
**एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट**

**उपस्थिति :—**

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

**आदेश** दिनाकः 19/07/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल डाबडीया तहसील अटरू में खाता संख्या 33 ख0नं0 49 की 1.34 है भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादिया का हिस्सा 1/32 खाता दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। ग्राम एवं माल मुण्डला बिसोती तह0 अटरू में खाता संख्या 6 में ख0नं0 243 का रकबा 4.12 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमें वादिया का हिस्सा 1/96 दर्ज खाता चला आ रहा है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि में मोतीलाल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज करते वक्त वादिया का नाम सावित्री देवी के बजाय सारूबाई पुत्री मोतीलाल दर्ज कर दिया। जिससे वादिया को ऋण प्राप्त करने में [illegible] का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रही है। वादिया [illegible] पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में सारूबाई के स्थान पर सावित्री देवी की घोषणा करवाकर खाते में दुरूस्ती करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है। वादिया ने आज दिनांक 01.03.2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब के यहां नाम दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो श्रीमान तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:23 IST
Reason: SelfAttested

साहब ने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। वादिया का आधार कार्ड, वोटर आई डी एवं बैंक के दस्तावेजात में सावित्री देवी दर्ज होने से बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाया जाना संभव नही है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत है। राजस्थाान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो वादिया को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा जिससे वादिया को अपरिमित क्षति होगी। इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 01.03.2021 को खाते की नकले प्राप्त करने पर तथा श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम डाबडिया एवं मुण्डला बिसोती तह. अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है। जो माननीय न्यायलय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्याय शुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे की वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादिया का नाम सारूबाई के स्थान पर सावित्री देवी घोषित किया जाकर खाते को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के ओदश प्रदान किये जाने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय उचित समझे दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 का शपथ पत्र पेश किया गया। [illegible] साक्ष्यवादी पेश न करने के कारण शेष साक्ष्यवादी बंद किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:23 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादिया का नाम सारूबाई के स्थान पर सावित्री देवी घोषित किया जावे। अभिभाषक

वादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी ग्राम मूण्डला बिसोती खाता सं. 6 में सहखातेदार सारूबाई पुत्री मोतीलाल दर्ज है तथा जमाबन्दी खाता संख्या 33 में सारूबाई पुत्री मोतीलाल दर्ज है। आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, बैंक डायरी बैक ऑफ बडौदा में वादिया का नाम सावित्री देवी दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत मूण्डला बिसोती का प्रमाण पत्र दिनांक 01.03.2021 अनुसार सारूबाई उर्फ सावित्री देवी दोनों एक ही नाम है।

साक्ष्य व रिकार्ड के आधार पर न्यायहित में वादीया का वाद स्वीकार योग्य है।

**—::क्रियात्मक आदेश::—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मूण्डला बिसोती के खाता सं. 6 किता 1 रकबा 4.12 है0 व खाता संख्या 33 किता 1 रकबा 1.34 है0 में सहखातेदार का नाम सारूबाई पुत्री मोतीलाल के स्थान पर सही नाम सावित्री देवी पुत्री मोतीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां**

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:23 IST
Reason: SelfAttested

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**
**(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)**
**आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)**
**बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)**

**प्रकरण सं0 55/2021**

**उनवान**

1. सविंत्री देवी आयु 62 वर्ष पुत्री मोतीलाल पत्नि बालमुकुन्द जाति मेघवाल निवासी मुण्डला बिसोती हाल आदर्श नगर बोरखेडा कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0।

**वादीया**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां राज0।

**प्रतिवादी**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट**
**एवं धारा 136 एल0 आर0 एक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ............X................. रूबरू...............X..............................
**बहाजिर :–**
वादीः– विद्वान अभिभाषक भगवान स्वरूप मंगल।
मिनजानित मुदई रूबरू ..........................................................................X..................................................

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मूण्डला बिसोती के खाता सं. 6 किता 1 रकबा 4.12 है0 व खाता संख्या 33 किता 1 रकबा 1.34 है0 में सहखातेदार का नाम सारूबाई पुत्री मोतीलाल के स्थान पर सही नाम सावित्री देवी पुत्री मोतीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

**(दिनेश कुमार मीणा)**
**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

निज ..................X..................... मुबालिक ................X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..............X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.07.2021 को जारी किया गया।

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**

| **मुदई** | | **मुदालयह** | |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | खर्चा गवाहान | [illegible]र्जी दावा | फीस कमिश्नर |
| स्टाम्प वकालत नाम | फीस कमिश्नर | [illegible] | बाबत् इजराय हुकमनाम |
| स्टाम्प वजह सबूत | बाबत् इजराय हुकमनाम | मह[illegible] वकील | मुत0 |
| महन्ताना वकील | मुत0 | [illegible] मिहान | |
| मिजान | | मिजान | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:23 IST
Reason: SelfAttested

**उप खण्ड अधिकारी**
**अटरू जिला बारां (राज0)**